अनुदान संख्या 44 – भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 44 - DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	739,24,00		739,26,00	571,15,10	-168,10,90
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					167,39,40
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	386,49,00		547,40,00	463,87,00	-83,53,00
पूरक	Supplementary	160,91,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					83,49,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	70239.00	53571.60	53547.62	-23.98
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-16669.40			

(I) “सामान्य – अन्य व्यय – आटोमोबाइल उद्योग का विकास” के अंतर्गत ₹28096.38 लाख की बचत (₹46888.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूएनआईडीओ–एसीएमए परियोजना के द्वितीय चरण के अनुमोदन में विलंब होने, एफएएमई (फेम) – इंडिया की कुछ परियोजनाओं की समाप्ति होने और इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति में विलंब होने की वजह से हुई।

(I) Under “General - Other Expenditure – Development of Automobile Industry” – saving of ₹28096.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46888.00 lakhs) was due to delay in approval of second phase of the UNIDO-ACMA project, discontinuance of certain projects of FAME-India and delay in supply of electric buses.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11507.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में “सामान्य – अन्य व्यय – पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास” के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11494.00 लाख था।

2. The above saving were partly (₹11507.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary of ₹2.00 lakhs in December, 2018 and February, 2019 under “General - Other Expenditure - Development of Capital Goods Sector”. Actual excess, however, was ₹11494.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹8353.00 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹16091.00 लाख के पूरक अनुदान का 52 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹8353.00 lakhs) constituted 52 percent of the supplementary grants of ₹16091.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 15 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4552”	Major head “4552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	9000.00	..	..	..
पु.	R.	-9000.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4860" उपभोक्ता उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	1453.00			
पू.	S.	1000.00	1654.00	4954.00	+3300.00
पु.	R.	-799.00			
मुख्य शीर्ष "6854" सीमेंट और अधातु खनिज उद्योग के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	6178.00	3934.00	633.00	-3301.00
पु.	R.	-2244.00			
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	22007.00			
पू.	S.	15089.00	40801.00	40800.00	-1.00
पु.	R.	3705.00			

(I) ₹10472.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10450.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹10472.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under twenty two heads; of these ₹10450.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "पेपर और न्यूजप्रिंट – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – हिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड" – ₹9000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक

(A) Major Head "4552" – "Paper and Newsprint – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Paper Corporation Ltd." – ₹9000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the

शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "4860" – "अन्य – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश" – ₹1450.00 लाख – पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "6854" – "अन्य – अन्य ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार स्कीम का कार्यान्वयन" – ₹5545.00 लाख की बचत (₹6178.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4365.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹16089.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष "4860" – "पेपर और न्यूजप्रिंट – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – नेपा मिल्स लिमिटेड में निवेश" – ₹653.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3953.00 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "6858" – "अन्य इंजीनियरिंग उद्योग" –

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पृथक्करण स्कीम तथा सांविधिक देयताओं की अदायगी का कार्यान्यवन" – ₹1600.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹1599.00 लाख था।

(खा) "अन्य कर्ज – राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और आर एंड डी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कर्ज" – ₹2112.00 लाख।

benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "4860" – "Others – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in PSUs" – ₹1450.00 lakhs - due to availability of unspent balances of the previous year.

(II) Under Major Head "6854" – "Others - Other Loans - Implementation of Revival Scheme of Public Sector Enterprises" – saving of ₹5545.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6178.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

4. The above savings were partly (₹4365.00 lahs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹16089.00 lakhs - under the following major heads:-

(I) Major Head "4860"- "Paper and Newsprint - Investments in Public Sector and Other Undertakings-Investment in Nepa Mills Ltd."- ₹653.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3953.00 lakhs.

(II) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries" –

(A) "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Retirement and Separation Scheme (VRS/VSS) and Payment of Statutory Dues" – ₹1600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1599.00 lakhs.

(B) "Other Loans - Loans to National Automotive Testing and R&D Infrastructure Projects"– ₹2112.00 lakhs.